कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर।

(सी० एच० एरिया रोड नं० 1, जमशेदपुर–831001)
दूरभाष संख्या– 0657–2231017, फैक्स–0657–2231017, ई–मेल– dfo-jamshedpur@gov.in

पत्रांक......................./जमशेदपुर   दिनांक:..............................

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमण्डल,
जमशेदपुर।

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
जमशेदपुर।

विषय :– धालभूमगढ़ हवाईअड्डा के विकास हेतु 99.256 हेक्टर वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :–
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 960 दिनांक 16.09.2022 एवं पत्रांक 439 दिनांक 24.04.2023
2. क्षेत्रीय मुख्य वन सरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर का ज्ञापांक 1819 दिनांक 22.09.2022 एवं पत्रांक 2139 दिनांक 18.11.2022 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर का ज्ञापांक 169 दिनांक 25.01.2023
3. विमानपत्तन निदेशक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बिरसा मुण्डा विमानपत्तन, राँची का पत्रांक 23 दिनांक 06.02.2023 एवं पत्रांक 1376–78 दिनांक 22.05.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव में पाई गई त्रुटियों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् है :–

क्र० सं०	विसंगति	अनुपालन प्रतिवेदन
3.	मूल प्रस्ताव के साथ कुल 106.00 हे० का KML Files समर्पित है, जबकि 99.256 हे० वन भूमि एवं 0.729 हे० गैर वनभूमि का कुल 99.985 हे० भूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित है। अतएव वनभूमि एवं गैर वनभूमि का अलग–अलग KML Files प्रस्तावित रकवा के आधार पर Online तथा CD के रूप में समर्पित किया जाय।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा त्रुटियों का निराकरण कर KML File CD में समर्पित किया गया है। अनु०–1
4.	मूल प्रस्ताव के साथ समर्पित Cost Benefit Analysis में प्रस्तावित वनभूमि का रकवा 97.166 हे० दर्शाया गया है एवं उसी रकवा के आधार पर Report में Calculations की गई है। इसमें सुधार अपेक्षित है, क्योंकि अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का रकवा 99.256 हे० है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्गत NPV revised rates दिनांक 06.01.2022 से प्रभावी है। अतएव Cost Benefit analysis में NPV दर के आधार पर की गई गणना को संशोधित किया जाना अनिवार्य है। वर्णित दोनों बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संशोधित Cost Benefit Analysis Report समर्पित किया जाय।	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा NPV की गणना के आलोक में संशोधित लागत–लाभ विशलेषण समर्पित किया गया है। अनु०–2

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव से संबंधित वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् संबंधित उपायुक्त का प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की कार्रवाई की प्रति।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि FRA प्रमाण–पत्र हेतु ग्राम सभा की कार्यवाही प्रगति पर है। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से FRA प्रमाण–पत्र प्राप्त होते ही समर्पित कर दिया जाएगा। अनु०–3

अतः लंबित पृच्छाओं एवं आपत्तियों के अनुपालन के क्रम में बिन्दु संख्या (3 एवं 4) का निराकरण प्रतिवेदन हार्डकॉपी आठ–आठ प्रतियों में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

विश्वासभाजन,

अनु०–यथोक्त।

ह०/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमंडल,
जमशेदपुर।

ज्ञापांक :– दिनांक :–

प्रतिलिपि :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमंडल,
जमशेदपुर।

ज्ञापांक :– 1139 दिनांक :– 25/05/2023

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

25/05/2023

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमंडल,
जमशेदपुर।

Scanned with CamScanner